

E-mail

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.14(5)खान/ग्रुप-2/2017

जयपुर, दिनांक : **27 APR 2017**

आदेश

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम, 63(1) के अन्तर्गत सहायक खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता), खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), अधीक्षण खनि अभियंता अथवा अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली अपील की सुनवाई हेतु अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास), निदेशालय, उदयपुर को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।




(इकबाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर/जोधपुर/जयपुर/कोटा को प्रेषित कर लेख है कि अपील से संबंधित समस्त पत्रावलियां अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास), निदेशालय को सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
5. DMGOMS प्रकोष्ठ, निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव